

P. K. JOGI): We are not having a discussion on this, please. There is no debate on this. ...*(Interruptions)...* This is a Zero Hour submission.

श्री राजनाथ सिंह ‘सूर्य’ (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ और जो कुछ इस फिल्म में दिखाया गया है उसकी बहुत सी हकीकत से मैं वाकिफ हूँ। 1949 से लेकर 1992 तक जो भी घटनाएं हुई हैं उनका मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ। जिस व्यक्ति, लालदास को इस फिल्म में हीरो बनाकर दिखाया गया है, मैं गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूँगा कि उसकी जो क्रिमनल हिस्टरी है, वह सदन में एक बार बंटवा दें ताकि पता चल सके कि वह व्यक्ति गलत था, कैसा था।

दूसरी बात में यह कहना चाहूँगा कि जरा सुनिये तो ...*(व्यवधान)...* आप पहले मेरी बात तो सुनिये ...*(व्यवधान)...*

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी): जल्दी समाप्त करें। अपनी बात संक्षेप में कहिये।

श्री राजनाथ सिंह ‘सूर्य’: मैं एक वाक्य में खत्म कर रहा हूँ। दूसरी बात में यह कह रहा हूँ कि नाली का पानी तो बहता रहता है हर घर के सामने। उसे कोई पीने के लिए नहीं जाता है, सब गंगा जल पीने जाते हैं। इसलिए अगर इस तरह की फिल्म दिखा रहे हैं तो दिखाने दीजिये उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।

RE: GANG RAPE OF DALIT WOMEN AND MURDER OF DALITS IN UTTAR PRADESH

श्री रामनाथ कोविन्द (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश में दलितों पर हो रहे अत्याचार की घटनाओं की ओर, जो बहुत शर्मनाक है और दर्दनाक भी है, की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

महोदय, करीब दो सप्ताह पूर्व उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और से मिला हुआ बार्डर डिस्ट्रिक्ट है उन्नाव, जो कि वहां से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर है, उस उन्नाव जिले में महोदय, कोतवाली थाने के अन्तर्गत ग्राम दयाल खेड़ी में एक दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। महोदय,

दर्दनाक और शर्मनाक बात यह है कि सामूहिक बलात्कार के बाद उस दलित महिला की हत्या कर दी गई। महोदय, यह उस जिले की एक मात्र घटना नहीं है। उसके दो दिनों पश्चात ही, उसी जिले में, उन्नाव जिले में, फतेहपुर चौरासी थाने के अन्तर्गत ग्राम नवादा में एक दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। महोदय, उत्तर प्रदेश के एक अन्य जिले में, रायबरेली जिले में सलोन पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत ग्राम गढ़ी जमरुवाखुर्द में सात दलितों, जिनमें एक दलित महिला भी शामिल थी, इन सातों लोगों का कत्ले आम, उन पर गोली चलाकर उनकी हत्या कि गयी। महोदय, इन सात दलितों की गलती केवल यह थी कि उन्होंने जो एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी उसके लिए उनके साथ गांव के लोग शराब शेयर करना चाहते थे और चाहते थे कि वे एफ.आई.आर. वापस ले लें। जब इन दलितों ने एफ.आई.आर. वापस लेने से इन्कार कर दिया तो उनकी हत्या कर दी गई, महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि इन सभी घटनाओं में, जो कि सभी दलितों पर हुई थी, एफ.आई.आर. केवल एक मामले में दर्ज हुई है लेकिन किसी भी अपराधी को आज तक पकड़ा नहीं गया है। महोदय, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है इसलिए सरकार का प्रथम दायित्व होता है कि वह अपने नागरिकों की जानमाल की रक्षा करे। इस मामले में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पूर्णतया फेल हुए हैं। महोदय, उत्तर प्रदेश में गवर्नर है लेकिन गवर्नरें नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से, गृह मंत्री जी यहा बैठे हुए हैं, उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इस प्रकरण में वह जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें और अपराधियों के खिलाफ सख्त सख्त सख्त कार्यवाही की जाए। धन्यवाद।

श्री गोविन्दराम मिरी (मध्य प्रदेश): जो यह मामला उठाया गया है मैं इसका समर्थन करते हुए मांग करता हूँ कि राष्ट्रपति शासन, जो कि केंद्र का शासन है...

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी): आपने एसोसिएट कर दिया।

श्री गोविन्दराम मिरी: मैं चाहता हूँ कि सरकार इसकी जांच करे और यहां पर जो हत्यायें और बलात्कार हो रहे हैं – माननीय गृह मंत्री जी बैठे हैं मैं चाहता हूँ कि वे इस पर एक वक्तव्य दें।